पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक
ने कथन [illegible] कर रखा है। पत्र
9/22 [illegible] दिनांक 11/10/22
को पेश हो।

11/10/22

पत्रावली पेश हुई। वादिन अभाव पक्ष
उपस्थित। अभियोगिगण 1, 2, 4, 6 तथा 8 की ओर
से अभियोजन उपस्थित। अभियोगी सं. 3 ने आवेदन
बाबत विपक्ष कनेक्शन जारी करने की
सीमा तक स्थगन आदेश के छूट करने
बाबत पेश किया। वादिन प्रार्थी के आवेदन
पर कोई ऐतराज नहीं। वकील उभय
पक्ष ने कथन किया कि मूल वाद में
राजीनामा अनुसार प्रा० डिक्री जारी कि
गई है। अतः वाद के निस्तारण तक
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया
जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
मूल वाद में राजीनामा अनुसार प्रा०
डिक्री जारी की जा चुकी है।
अतः विवाद ग्रस्त आराजी सं. 742,
451, 455, 456, 457 वाके ग्राम बिड़ोली
तहसील बाड़ जिला सीकर में विपक्ष
कनेक्शन की छूट की स्थिति के
साथ मूल वाद के निस्तारण तक
रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने
हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार दफ्तर के बाद
दाखिल दफ्तर हो। निर्णय अलग से
के अनुसार बाबत।

30/9/22
MOHD. FIRO